न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : कमला अलारिया, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण संख्या 18 / 2022 (7 / 18)

संदीपकौर पुत्री श्री गुरनामसिंहपत्नी गुरलाल सिंह जाति जटसिख निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।

अपीलार्थी

1. गुरनामसिंह
2. निरजंनसिंह
3. जसपालसिंह
4. लालसिंह

पुत्रान श्री हुकमसिंह उपर्फ हुसनचन्द अकवाम जटसिख सकनाए लिखमेवाला तह0 रायसिंहनगर।

5. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित

1. श्री प्रेमप्रकाश मक्कड़, एडवोकेट , अपीलार्थी की ओर से
2. श्री तेजासिंह संधू, अधिवक्ता, रेस्पोडकन्टस

।। निर्णय ।। दिनांकः 23-06-2022

हस्तगत अपील प्रकरण जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक सीजी / वाचक / कार्यविभाजन / 2022 / 36 दिनांक 14.01.2022 के द्वारा रायसिंहनगर तहसील के राजस्व प्रकरणों का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को दिए जाने फलस्वरूप अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के पत्रांक 196 दिनांक 09.02.2022 द्वारा स्थानानरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

अपीलार्थीया की ओर से हस्तगत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया है कि अपीलान्टा के पिता रेस्पो0 सं0 1 गुरनामंसिंह व उसके भाई रेस्पो0 सं0 2 से 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके पिता हुकमसिंह उर्फ़ हुसनचन्द द्वारा अपनी कृषि भूमि चक 28 पी एस खाता सं0 65 के मु0 नं0 5-10-11-12 की कुल 12.779 है0 नहरी में 6.325 है0 नहरी में अपना हिस्सा आधा यानि 3.162 है0 नहरी व खाता सं0 66 के मु0 नं0 31 की 1.897 है0 नहरी में 0.949 है0 नहरी में से समस्त आधा हिस्सा यानि 0.475 है0 नहरी । इस प्रकार कुल 3.637 है0 की वसीयत अपने जीवन काल में रेस्पो0 सं0 1 से 4 के हक में की हुई है। रेस्पोडेन्टस के पिता का देहान्त दिनांक 9-1-10 को हो चुका है। अधीनस्थ

कलेक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्टस का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उक्त वर्णित आराजी का इन्तकाल रेस्पो0 सं0 1 से 4 के पक्ष में अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–7–16 को पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश पूर्णतः विधि विरुद्ध है। अपीलांटा रेस्पो0 1 की पुत्री है तथा अपीलांटा का एक भाई हरविन्द्रसिंह है। अपीलाधीन भूमि में बराबर के उत्तराधिकारी व जद्दी जायदाद होने के कारण बहिस्सा बराबर प्राप्त करने के अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटा व उसके भाई हरविन्द्रसिंह को सुनवाई हेतु नोटिस जारी नहीं किया है। वसीयत के आधार पर जो आराजी रेस्पो0 सं0 1 को प्राप्त हुई है, वह जद्दी जायदाद है, उसमें अपीलांटा व उसके भाई हरविन्द्रसिंह का बहिस्सा बराबर स्वतः ही निहित हो जाता है। अपीलांटा द्वारा रेस्पो0 सं0 1 के खिलाफ राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर में वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसमें रेस्पो0 हाजिर हो चुके हैं। अपीलांटा के हक में स्थगन आदेश जारी हुआ था जिसमें बाद में राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अपीलांटा के खिलाफ निर्णय कर दिया। वर्तमान में राजस्व मण्डल में विचाराधीन है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलकृत आदेश दिनांक 17–7–16 अपास्त किया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई।अधीनस्थ न्यायालय का अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अपीलांटा के अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटा व उसके भाई हरविन्द्रसिंह को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस जारी नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही विधिविरुद्ध है एवं न्यायसंगत नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई एवं निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना चाहिये।

विद्वान रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अपीलांटा रेस्पो0 सं0 1 गुरनामसिंह की पुत्री है तथा हरविन्द्रसिंह उसका भाई है। अपीलांटा अपने पिता को वसीयत के माध्यम से प्राप्त कृषि भूमि में से अपना हिस्सा चाहती है। अपीलांटा को अपने पिता से हिस्सा प्राप्त करने के लिए अपने पिता के खिलाफ वाद करना चाहिये। अपीलांटा द्वारा जो उप खण्ड अधिकारी,रायसिंहनगर के यहाँ वाद किया गया था, वह खारिज हो गया है। इसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में की गई थी, जहाँ से अपील भी खारिज हो चुकी है। वर्तमान में प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलकृत आदेश विधिसम्मत् एवं न्यायपूर्ण है। अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि रेस्पो0 सं0 1 व 4 के पिता हुकमसिंह उर्फ हुशनचन्द ने दिनांक 12-11-2008 को पंजीकृत वसीयत के माध्यम से रेस्पो0 सं0 1 से 4 के पक्ष में अपनी स्वअर्जित कृषि भूमि चक 28 पी एस खाता सं0 65 का मु0 नं0 5-10-11-12 की 12-779 है0 नहरी में 6-325 है0 नहरी में अपना आधा हिस्सा 3-162 है0 नहरी, खाता सं0 66 का मु0 नं0 31 की 1-897 है0 नहरी ममें आधा हिस्सा .949 है0 में अपना समस्त आधा हिस्सा .475 है0 नहरी कुल 3-637 है0 नहरी भूमि की वसीयत निष्पादित करवाई थी। रेस्पो0 सं0 1 से 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24-5-16 को उपस्थित होकर संयुक्त रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त की गई। सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन करवाया गया। स्थानीय समाचार पत्र सीमा सन्देश में नोटिस का प्रकाशन करवाया गया। समस्त विधिसम्मत् कार्यवाही पूर्ण की जाकर अपीलकृत आदेश दिनांक 27-7-16 को पारित किया गया है।

अपीलांटा के अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटा व उसके भाई हरविन्द्रसिंह को अपीलाधीन आदेश से पूर्व सुनवाई एवं साक्ष्य हेतु विधिवत् नोटिस जारी नहीं किया गया है। इस तर्क के खण्डन में रेस्पो0 के अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटा व उसके भाई हरविन्द्र को नोटिस जारी करना आवश्यक नहीं था क्योंकि अपीलांटा अपने पिता गुरनामसिंह को वसीयत के माध्यम से प्राप्त कृषि भूमि में से अपना हक चाहती है जिसके लिए वह वाद कर अपना हक प्राप्त कर सकती है । यदि उसे पंजीकृत वसीयत पर कोई आपति है तो वह सिविल न्यायालय में विधिसम्मत् कार्यवाही कर अनुतोष प्राप्त कर सकती है। यह तथ्य निर्विवादित है कि अपीलांटा अपने पिता को वसीयत में प्राप्त भूमि से अपना हक प्राप्त करना चाहती है, जिसके लिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया जाना विधिसम्मत् नहीं था।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के परिणामस्वरूप, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधिपूर्ण एवं कानूनी प्रावधानों की पालना कर पारित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 23-06-2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर।

Scanned with OKEN Scanner